उत्तर प्रदेश शासन

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1

संख्या-25/2016/1206/43-1-2015-37(1)/1984

लखनऊ : दिनांक 14 सितम्बर, 2016

कार्यालय ज्ञाप

स्पष्टीकरण

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों/अपीलों/शिकायतों/पत्रावलियों/पंजिकाओं के वीडिंग/रिकार्डिंग हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित शेडयूल/दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने का परामर्श प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-27/2015/1377/43-1-2015-37(1)/1984, दिनांक 19 अगस्त, 2015 द्वारा समस्त विभागों को प्रसारित किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्य सूचना आयुक्त/सूचना आयुक्तगण के कार्यालय में उनके समक्ष दाखिल द्वितीय अपीलों/शिकायतों का निस्तारण एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया के तहत उत्तर प्रदेश सूचना आयोग द्वारा किया जाता है एवं निस्तारण के उपरान्त पत्रावलियों के रख रखाव एवं विनष्टीकरण के सम्बन्ध में समुचित व्यवस्था भी आयोग द्वारा ही की जाती है। अतः उक्त उपरोक्त उल्लिखित पत्र दिनांक 19-8-2015 के माध्यम से परामर्शित वीडिंग/रिकार्डिंग का शेडयूल उ0प्र0 सूचना आयोग में दायर उक्त प्रकृति की अपीलों/शिकायतों से सम्बन्धित पत्रावलियों पर लागू नहीं होगा।

3- उक्त शासनादेश दिनांक 19-8-8-2015 इस सीमा तक संशोधित माना जाएगा। इसके शेष उपबन्ध यथावत रहेगें।

एस0एन0 शुक्ल

प्रमुख सचिव।

संख्या-25/2016/1206(1)/43-1-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सचिव, उ0प्र0 सूचना आयोग, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-108/सचिव/रा0सू0आ0उ0प्र0/2016, दिनांक 5-9-2016 के सन्दर्भ में।

2- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

3- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

5- समस्त अनुभाग अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन।

6- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

लुटावन राम

उपसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on www.shasanadesh.org
http://shasanadesh.up.nic.in

Search easily on www.bhartiyashashanadesh.org
http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।